UPJL010029062025

न्यायालयः जिला जज, जालौन स्थान उरई।

पीठासीन– विरजेन्द्र कुमार सिंह, एच.जे.एस.

प्रकीर्ण वाद संख्या 45/2025

अजय कुमार बनाम हरिओम वाजपेयी आदि

14.03.2026:

1. पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुयी। आवेदक अजय कुमार की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 372, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मृतका श्रीमती हीरा देवी आवेदक एवं विपक्षी सं01 लगायत 3 की मॉ थी, जिनकी मृत्यु दिनांक 15.11.2024 को हो गयी है। मृतका द्वारा मृत्यु उपरांत छोड़ी गयी धनराशि, जिसका विवरण आवेदन पत्र के पैरा 7 में दिया गया है, के संबंध में अपने पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की याचना की गयी है।

2. विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। मुनादी व प्रकाशन कराया गया, किन्तु प्रकाशन व मुनादी कराए जाने के बावजूद विपक्षी संख्या–1 लगायत 3 अथवा अन्य किसी व्यक्ति की ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई।

3. आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि मृतका श्रीमती हीरा देवी आवेदक एवं विपक्षी सं01 लगायत 3 की मॉ थी, जिनकी मृत्यु दिनांक 15.11.2024 को हो गयी है। आवेदक ने आवेदन पत्र के समर्थन में सूची 7ग से मृतका हीरा देवी के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति कागज संख्या 8ग1, बैंक पासबुक की छायाप्रति कागज संख्या 9ग1/1 व 9ग1/2, राशन कार्ड की छायाप्रति कागज संख्या 10ग1 व 10ग1/2, आवेदक, मृतका हीरा देवी एवं विपक्षीगण के आधार कार्ड की छायाप्रति कागज संख्या 11ग1/1 लगायत 11ग1/5 प्रस्तुत किये गये है।

4. विपक्षी संख्या–2 एवं विपक्षी संख्या 3 की ओर से सहमति कागज संख्या 16ख एवं विपक्षी संख्या 1 की ओर से सहमति पत्र कागज संख्या 21ख मय शपथपत्र प्रस्तुत की गयी है, जिसमें कथन किया गया है कि आवेदक के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने की सहमति व्यक्त की गयी है। आवेदक द्वारा स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र कागज संख्या 27ग बतौर पी0डब्लू01 न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने मुख्यतः यह कथन किया है कि मृतका हीरा देवी उसकी मॉ थी, जिनकी मृत्यु हो गयी थी।

5. अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से स्पष्ट है कि आवेदक तथा विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 मृतका हीरा देवी के उत्तराधिकारी है। चूँकि विपक्षीगण द्वारा आवेदक के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु सहमति

Digitally signed by VIRJENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.03.31 19:35:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

व्यक्त की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र 3ख स्वीकार अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 किया जाता है। मृतका हीरा देवी के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा राजमार्ग उरई, जिला जालौन के खाता संख्या 11114933765 में जमा धनराशि मुव0 5,67,132.14/–रूपये (पॉच लाख सरसठ हजार एक सौ बत्तीस रूपये चौदह पैसे) मय ब्याज के संबंध में आवेदक अजय कुमार के पक्ष में नियमानुसार देय न्यायशुल्क अदा करने के उपरान्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए।

आवेदक अजय कुमार को आदेशित किया जाता है कि वह इस आशय की अण्डर टेंकिग न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे कि यदि मृतका के किसी अन्य नजदीकी वारिस द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पर आपत्ति की जाती है, तो वह उक्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को न्यायालय को समर्पित करेगा तथा यदि उक्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के माध्यम से कोई धनराशि आहरित की गई है, तो वह आहरित उक्त धनराशि मय 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज न्यायालय में जमा करेगा।

दिनांक–14.03.2026

(विरजेन्द्र कुमार सिंह)
जिला जज,
जालौन स्थान उरई।
जे.ओ. कोड यू.पी–6525